गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, अलीगढ़

फोन नं०-9219445004-5005
ई मेल-gandhieye@gmail.com
वेबसाइट- www.gandhieyehospitalaligarh.in

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चिकित्सालय मे वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से दिनांक 31 मार्च 2026 तक संचालित होने वाले अधोलिखित ठेको हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है।

1- साइकिल स्टैण्ड, 2- ड्रग शॉप, 3- आप्टिकल शॉप

नियम व शर्ते-

1- आवेदन पत्र मय नियम शर्तो **रू० 500/- + 18% जी०एस०टी०** लेखा विभाग मे जमा कराते हुये कार्यालय अवधि मे **दिनांक 27.03.2025, अपरान्ह 1-00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है।

2- सील बन्द आवेदन पत्र प्रत्येक दशा मे **दिनांक 27.03.2025, दिन-बृहस्पतिवार, अपरान्ह 4.00 बजे** तक कार्यालय मे निर्धारित शर्तो को पूर्ण कराते हुये जमा कराना अनिवार्य है जिन्हे **दिनांक 28-03-2025, दिन-शुक्रवार** को समिति द्वारा **सायंकाल 5.30 बजे** निविदादाताओ की उपस्थिति मे खोला जावेगा।

3- टेन्डर समिति को कोई भी निविदा चिकित्सालय हित मे एक पक्षीय रूप से निरस्त करने, तिथियों में परिवर्तन करने, नियम शर्तो पर निर्णय लेने का स्वतन्त्र रूप से अधिकार होगा।

4- निविदा प्रपत्र व शर्तो नियमो सम्बन्धी सूचना चिकित्सालय वेबसाइड से भी डाउनलोड की जा सकती है।

वी० के० बजाज
सचिव

मूल्य-500/- रूपये

गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, रामघाट रोड, अलीगढ़ (उ0प्र0)

फोन नं0 9219445004, 9219445005

E mail- gandhieye@gmail.com

वेबसाइट- www.gandhieyehospitalaligarh.in

फोटो

निविदा फार्म

(चिकित्सालय मे साइकिल स्टैण्ड, आप्टिकल शॉप व ड्रगशॉप के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र)

1- आवेदक का नाम :..

2- पिता का नाम :..

3- उम्र :..

4- फर्म का नाम(यदि कोई हो तो):..

:..

5- ठेके का नाम जिसके लिये आवेदन किया गया है :..

6- स्थाई पता :..

:..

:..

7- दूरभाष नं0: कोड नं0:...........पी0एन0टी0 नं0:.........................

:मोबाइल नं0 ....

8- पैन कार्ड नं0 :..

9- जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या:..

10-पते का प्रमाण पत्र(**राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, टेलीफोन बिल, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स मे से किसी एक की छायाप्रति**)।

11- घोषित निविदा मूल्य(**अंको में**)रू0 :..

(**शब्दो में**)रू0 :..

12-प्रतिभूति घोषित मूल्य का 10% रू0:..

बैक का नाम :..

डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण ड्राफ्ट नम्बर :..

दिनांक :..

(डिमान्ड ड्राफ्ट सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, अलीगढ़ के पक्ष मे देय होगा)

मैने उपरोक्त आवंटन सम्बन्धी समस्त नियम, शर्तो को भली भाँति पढ़ व समझ लिया है व मुझे सभी शर्ते, मान्य व स्वीकार है। यदि मेरे पक्ष मे निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै निर्धारित मूल्य समय पर अदा करूँगा व सम्पन्न अनुबन्ध की शर्तो का पूर्णत: पालन करूँगा अन्यथा मेरा आवंटन निरस्त कर चिकित्सालय प्रशासन मेरी जमा प्रतिभूति को जब्त कर लें। **संलग्नको का विवरण-**

1- चरित्र प्रमाण पत्र ☐

2- डिमाण्ड ड्राफ्ट ☐

3- विगत तीन वर्ष के बिक्री कर व आयकर रिर्टन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (वास्ते ड्रग शॉप) ☐

4- निवास प्रमाण पत्र ☐

5- डिप्लोमा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (वास्ते आप्टिकल शॉप) ☐

6- अनुभव प्रमाण पत्र ☐

7- ड्रग लाइसेन्स ☐

8- पैन कार्ड छायाप्रति ☐

9- जी.एस.टी.पंजीकरण प्रमाण पत्र ☐

10-टिन नम्बर प्रमाण पत्र ☐

Secretary
Gandhi Eye Hospital Trust
ALIGARH

आवेदक के हस्ताक्षर

गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, अलीगढ़।

वित्तीय सत्र 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026

चिकित्सालय मे रोगियो की सुविधा से जुड़ी अधोलिखित सुविधाओ हेतु इच्छुक निविदादाताओं/आवेदको हेतु निर्धारित नियम व शर्ते।

निविदादाताओं/आवेदको से अनुरोध है कि वह निम्न, शर्तो को भालीभाँति पढ़ने के उपरान्त निर्धारित शर्तो/नियमो की पात्रता रखने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें व प्रत्येक सुविधा के लिये अलग-अलग आवेदन दें अन्यथा ऐसे आवेदन/निविदाओ को अमान्य घोषित कर दिया जावेगा। जो एक ही आवेदन पत्र मे दो या अधिक सुविधाओ हेतु प्रस्तुत किये होगे।

अ.साइकिल स्टैण्ड–

1- निविदादाताओ को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे मे वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन मे घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप **''सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट''** के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका साइकिल स्टैण्ड के किसी प्रतिष्ठित संस्थान मे 02 वर्षो के ठेका संचालन करने का अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4- यह कि जिन निविदादाताओ/आवेदको की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराऐ गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस मे वापस प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

5- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति मे घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की 50% धनराशि 3 दिन के अन्दर कार्यालय मे बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवदेक के पक्ष मे उक्त निविदा स्वीकृति कर दी जावेगी। पात्र निविदादाता को शेष 50प्रतिशत धनराशि माह अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह मे अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

6- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई 10% प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते मे जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागो के क्लीऐरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह मे वापस कर दी जावेगी। परन्तु ठेके की किसी भी अवधि मे यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तो, नियमो के उल्लंघन की दशा मे चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो जमा धनराशि के साथ-साथ उक्त प्रतिभूति/धरोहर धनराशि चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नही किया जावेगा।

7- यह कि निविदा/ठेका अवधि मे कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियो के हित मे नही है व उक्त

Secretary
Gandhi Eye Hospital Trust
ALIGARH

निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नही है व उसकी उपस्थिति व कार्यो से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।

8- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियो के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।

9- यह कि ठेका संचालन हेतु पार्किंग दरो का निर्धारण चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किया जावेगा जिसका पट्टिका पर प्रदर्शन साइकिल स्टैण्ड पर करना अनिवार्य होगा व निर्धारित धनराशि से अधिक की किसी भी रोगी से वसूली की सूचना/शिकायत पर आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

10- यह कि उपरोक्त के साथ-साथ पात्र आवेदक/निविदादाता को चिकित्सालय प्रबन्धन के साथ रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नियमो, शर्तो के साथ अनुबन्ध मय दो गवाह सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा व अनुबन्ध की किसी भी शर्त या नियम के उल्लंघन की दशा मे आवंटी का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व निर्धारित अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने पर ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

ब.आप्टिकल शॉप–

1- निविदादाताओ को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे मे वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन मे घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप **''सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट''** के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका आप्टिकल शॉप के किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय अथवा अन्यन्त्र किसी प्रतिष्ठित संस्थान मे संचालन जो कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो व **''स्टेट मैडीकल फैकल्टी, लखनऊ''** अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आवेदक को **द्विवार्षिक डिप्लोमा इन आप्टोमैट्री के प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी अनिवार्य रूप** से संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

4- यह कि जिन निविदादाताओ/आवेदको की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराऐ गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस मे वापस प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

5- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति मे घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की 50% धनराशि 3 दिन के अन्दर कार्यालय मे बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवदेक के पक्ष मे उक्त निविदा स्वीकृति कर दी जावेगी। पात्र निविदादाता को शेष 50% धनराशि माह अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह मे अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा

दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा व जमा प्रतिभूति भी जब्त कर ली जावेगी।

6- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई 10 प्रतिशत प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते मे जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागो के क्लीऐरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह मे वापस कर दी जावेगी। परन्तु ठेके की किसी भी अवधि मे यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तो, नियमो के उल्लंघन की दशा मे चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो उक्त प्रतिभूति/निविदा मूल्य चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नही किया जावेगा।

7- यह कि निविदा/ठेका अवधि मे कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियो के हित मे नही है व उक्त निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नही है व उसकी उपस्थिति व कार्यो से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।

8- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियो के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।

9- यह कि ठेका संचालन की अवधि मे रोगियो को वितरित किये जाने वाले चश्मो की गुणवत्ता, दरो व काउन्टर पर उपलब्ध स्टाक, कार्य व्यवहार की समीक्षा चिकित्सालय प्रबन्धन प्रशासन द्वारा नियमित रूप से की जावेगी व किसी भी अनुबन्ध की शर्तो के उल्लंघन अनियमितता या कार्यव्यवहार मे खामियॉ पाये जाने की स्थिति मे ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी जिसका एक पक्षीय रूप से उत्तरदायित्व आवंटी पर होगा।

10- यह कि उपरोक्त के साथ-साथ पात्र आवेदक/निविदादाता को चिकित्सालय प्रबन्धन के साथ रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नियमो, शर्तो के साथ अनुबन्ध मय दो गवाह सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा व अनुबन्ध की किसी भी शर्त या नियम के उल्लंघन की दशा मे आवंटी का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व ठेके पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने के बाद ही प्राप्त की जा सकेगी।

11- यह कि आप्टिकल शॉप संचालन सम्बन्धी कार्यो मे रोगियो से चश्मो के विरूद्ध ली जाने वाली धनराशि की रसीद, पर्चा आदि आवंटी को अपने स्तर से रोगी को प्रदान कराना होगा व उक्त कार्य से सम्बन्धित समस्त टैक्स आदि का लेखा जोखा व अदायगी स्वयं आवंटी का उत्तरदायित्व होगा। चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन का इससे कोई सरोकार नही होगा।

12- यह कि आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म/संस्थान को अपना जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र मे उल्लिखित करना होगा। जिसकी छायाप्रति भी आवेदन के साथ प्रदान करानी होगी।

स. ड्रग शॉप–

Secretary
Gandhi Eye Hospital Trust
ALIGARH

1- निविदादाताओ को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे मे वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा ।

2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन मे घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप **''सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट''** के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका ड्रग शॉप के प्रतिष्ठित चिकित्सालय अथवा अन्यन्त्र ड्रग शॉप संचालन जो कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो का प्रमाण पत्र व आवेदक के नाम के किसी भी स्थान के ड्रग लाइसेन्स की छायाप्रति आयकर बिक्री कर, जी०एस०टी० आदि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन को स्वीकार नही किया जावेगा।

4- यह प्रबन्धमण्डल द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें सम्पूर्ण एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावी मानी जावेगी व पात्र निविदादाता/फर्म को उसमे एक वित्तीय वर्ष तक किसी भी परिस्थिति मे कोई संशोधन, परिवर्तन(घटाने, बढ़ाने का)अधिकार प्राप्त नही होगा।

5- यह कि जिन निविदादाताओ/आवेदको की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराऐ गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस मे वापस प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

6- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति मे घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की **50%** धनराशि 07 दिनो के अन्दर कार्यालय मे बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवदेक के पक्ष मे उक्त निविदा स्वीकृति कर दी जावेगी। पात्र निविदादाता को शेष **25%** धनराशि माह अक्टूबर **2025** के प्रथम सप्ताह मे व शेष **25%** धनराशि माह दिसम्बर **2025** तक अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा व जमा प्रतिभूति एक पक्षीय रूप से जब्त कर ली जावेगी।

7- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते मे जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागो के क्लीऐरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह मे वापस कर दी जावेगी। परन्तु ठेके की किसी भी अवधि मे यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तो, नियमो के उल्लंघन की दशा मे चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो उक्त प्रतिभूति/निविदा मूल्य चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नही किया जावेगा।

8- यह कि निविदा/ठेका अवधि मे कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियो के हित मे नही है व उक्त निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नही है व उसकी उपस्थिति व कार्यो से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।

9- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियो के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।

10- यह कि ठेका संचालन की अवधि से रोगियो को प्रदान की जाने वाली औषधियो की गुणवत्ता दरो व स्टाक, कार्यव्यवहार की समीक्षा समय-समय पर ड्रग इन्सपैक्टर, चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन द्वारा की जावेगी व किसी भी अनुबन्ध की शर्तो के उल्लंघन, अनियमितता कार्यव्यवहार, खामियॉ पाये जाने की स्थिति मे ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी जिसका एक पक्षीय रूप से उत्तरदायित्व आवंटी पर होगा।

11- यह कि ड्रग शॉप संचालन सम्बन्धी कार्यो मे रोगियो से औषधि आपूर्ति के विरूद्ध ली जाने वाली धनराशि की रसीद, बिल, पर्चे आदि आवंटी स्वयं रोगियो को अपने स्तर से प्रदान करेगे व उक्त कार्य से सम्बन्धित समस्त आयकर, जी0एस0टी0 टैक्स आदि-आदि का लेखा जोखा व अदायगी स्वयं आवंटी का उत्तरदायित्व होगा । चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन का इससे कोई सरोकार नही होगा । जिसे किसी भी प्रकार से चुनौती/प्रतिवाद का अधिकार आवेदनकर्ता को नही होगा।

12- यह कि आवेदनकर्ता को अपने आवेदन के साथ विगत दो वर्ष के बिक्री कर व आयकर रिर्टन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उसके आवेदन को समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सभी सुविधाओ से जुड़े ठेको/आवंटन सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्र/निविदाओ को निरस्त करने,नियमो, शर्तो मे यथा आवश्यक संशोधन परिवर्तन करने नये निम्न प्रख्यापित करने चिकित्सालय एवं रोगियो के हित, परिसर की कानून व्यवस्था, अनुशासन को बनाऐ रखने जैसे विषयो पर समिति को एक पक्षीय रूप से निर्णय लेने का अधिकार होगा । जिसे आवेदक/आवंटी/निविदादाता को एक पक्षीय रूप से मानने की बाध्यता होगी। जिसे किसी भी प्रकार से चुनौती/प्रतिवाद का अधिकार आवेदनकर्ता को नही होगा।

यदि आवेदक/निविदादाता उपरोक्त शर्तो नियमो के पालन से सहमत हो तभी अपना आवेदन पत्र सील बन्द **''सचिव, गॉंधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट''** के नाम लिफाफे पर निविदा वास्ते जिसके लिये वह आवेदन कर रहा हो लिखकर निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत कर सकता है प्रत्येक सुविधा/ठेके के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है व निविदा खोले जाते समय केवल समिति के सम्मुख निविदादाता की उपस्थिति की ही अनुमति होगी अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश प्रदान नही किया जावेगा।

नोट:-

1-निविदा फार्म की बिक्री/प्राप्ति दिनांक 20.03.2025 से 27.03.2025 तक। अपरान्ह 1.00 बजे तक।

2- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27.03.2025 सायंकाल 4.00 बजे तक।

3- निविदा खोले जाने की तिथि दिनांक 28.03.2025 सायंकाल 5.30 बजे से।

स्थान: प्रशासनिक भवन, गॉंधी आई हॉस्पिटल परिसर, अलीगढ़।

वी0 के बजाज
सचिव

Secretary
Gandhi Eye Hospital Trust
ALIGARH